

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 2016

संख्या-2/आ0-70-01/14 गृ0आ0 / श्री एस0एम0 वकील अहमद, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर सम्प्रति स्टॉफ ऑफिसर बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-2069 दिनांक 15.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ने अपने पत्र सं0-2210 दिनांक 21.03.2016 द्वारा श्री राजेश त्रिपाठी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किये जाने के फलस्वरूप श्री राजेश त्रिपाठी को इस मामले में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(देव नारायण मंडल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

निबंधित

ज्ञापांक-2/आ0-70-01/2014 गृ0आ0 / पटना, दिनांक 2016


प्रतिलिपि:-विभागीय जांच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी बिहार, पटना/श्री राजेश त्रिपाठी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण)-सह-प्रस्तुतीकरण, बिहार, पटना/श्री एस0एम0 वकील अहमद, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर सम्प्रति स्टाफ ऑफिसर बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को विभागीय संकल्प सं0-2069 दिनांक 15.03.16 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2/आ0-70-01/2014 गृ0आ0 2732 / पटना, दिनांक 07.04.2016

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


5.4.16
सरकार के संयुक्त सचिव।